प्रेस विज्ञप्ति
17.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय-I ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत चल रही जांच के क्रम में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 10.09.2026 को मुंबई और दिल्ली में मेसर्स अल्फारा' आ इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) तथा इसके निदेशकों/निकट सहयोगियों से संबंधित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी द्वारा जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत के आधार पर मेसर्स अल्फारा' आ इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई।

ईडी की जांच से पता चला कि एआईपीएल, जो एक सिविल निर्माण कंपनी है, ने वर्ष 2012 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 103 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं, जिन्हें बाद में वर्ष 2015 में बढ़ाकर 360.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। उक्त खाते को 18.06.2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया, जिसमें 255.74 करोड़ रुपये की बकाया राशि थी।

ईडी की जांच से प्रथम दृष्टया पता चला कि वर्तमान मामले में लगभग 75.02 करोड़ रुपये की एलसी का भुगतान दायित्व उत्पन्न हुआ तथा लगभग 164.59 करोड़ रुपये की बीजी को आहूत किया गया और अपराध से अर्जित आय उत्पन्न हुई। इसमें से पर्याप्त धनराशि को विभिन्न लाभार्थी/मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया तथा तत्पश्चात लेयरिंग वाले लेनदेन के माध्यम से एआईपीएल और उसकी समूह संस्थाओं को डायवर्ट किया गया, ताकि इसकी वास्तविक उत्पत्ति को छिपाया जा सके।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि ग्लेज्ड टाइल्स के निर्यात के नाम पर विदेशी बैंक गारंटियां भी खोली गई थीं, जबकि ऐसा निर्यात कभी किया ही नहीं गया और धनराशि सिंगापुर तथा हांगकांग स्थित विदेशी संस्थाओं को प्रेषित की गई। एआईपीएल द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण इनमें से कई एलसी और बीजी बाद में क्रमशः देय हो गईं/आहूत कर ली गईं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को अनुचित हानि हुई और डायवर्ट की गई धनराशि का गबन किया गया। अपराध की गंभीरता तथा जांच के दौरान पता लगाए गए वित्तीय लेनदेन के क्रम को ध्यान में रखते हुए, पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत की गई तलाशी के दौरान आरोपियों, उनके निकट सहयोगियों, परिवार के सदस्यों तथा आरोपियों के साथ वित्तीय संबंध प्रदर्शित करने वाली संस्थाओं से संबंधित परिसरों को शामिल किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान 18 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 9,567 अमेरिकी डॉलर तथा 860 क्वाचा की चल संपत्तियां बरामद कर जब्त की गईं। इसके अतिरिक्त, लगभग 1.02 करोड़ रुपये की एफडी, लगभग 1.75 करोड़ जेपीवाई तथा 1,03,145 अमेरिकी डॉलर की एफडी को फ्रीज किया गया।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा बैंक लेनदेन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी और आरोपियों तथा अन्य संदिग्ध संस्थाओं से जुड़ी अचल संपत्तियों से संबंधित अभिलेख भी जब्त किए गए। इन दस्तावेजों से अपराध से अर्जित आय के उत्पन्न होने तथा बैंकिंग चैनल के माध्यम से उसकी लेयरिंग किए जाने के क्रम को और अधिक प्रमाणित किए जाने की संभावना है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।